मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-6/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10 जुलाई, 2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय- न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय ।

—•—

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र कमांक 12-12-2010/नियम/चार, दिनांक 28-5-2010 के द्वारा न्यायिक प्रकरणों में नियुक्त प्रभारी अधिकारियों के लिए मानदेय का निर्धारण किया गया था।

2/ राज्य शासन ने प्रभारी अधिकारियों हेतु मानदेय की दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया है :-

सरल क्रमांक	विवरण	मानदेय की वर्तमान दर (प्रति प्रकरण)	मानदेय की पुनरीक्षित दर (प्रति प्रकरण)
1.	उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिये	₹ 1000/-	₹ 1500/-
2.	उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरण के लिये	₹ 1500/-	₹ 2500/-

3/ उक्त मानदेय निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन देय होगा :-

3.1. यह मानदेय उसी अधिकारी को देय होगा, जिसके द्वारा यह कार्य अपने चालू कार्यालयीन दायित्वों के अतिरिक्त रूप से किया जा रहा है ।

http://www.Finance.mp.gov.in

PTO

3.2. उक्त मानदेय भुगतान की पात्रता प्रकरण के प्रारंभ से लेकर निर्णय पर अनुवर्ती कार्यवाही हेतु विधिक परामर्श तक के लिए होगी । उक्त प्रक्रिया के मध्य प्रभारी अधिकारी के बदलने पर मानदेय प्रकरण के स्टेज के आधार पर निम्नानुसार देय होगा :-

जवाबदावा प्रस्तुत करने की कार्यवाही तक – 50 प्रतिशत
जवाबदावा प्रस्तुत करने के उपरांत निर्णय तक – 30 प्रतिशत
निर्णय उपरांत की कार्यवाही के लिए – 20 प्रतिशत

3.3. ऐसे प्रकरणों, जो विषयवस्तु में समान हैं तथा जिनके लिए एक ही अधिकारी को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारी को अधिकतम दो प्रकरणों के लिए ही मानदेय देय होगा ।

3.4. किसी भी प्रभारी अधिकारी को इस प्रकार देय मानदेय की अधिकतम प्रतिमाह सीमा ₹ 15,000/- होगी ।

4/ अवमानना प्रकरणों में नियुक्त संपर्क अधिकारी को भी उपरोक्तानुसार प्रभारी अधिकारी के सदृश मानदेय का भुगतान किया जाएगा ।

5/ उक्त मानदेय संबंधित शासकीय सेवक के वेतन मद में विकलनीय होगा ।

6/ यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

7/7/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक :एफ 11-6/2010/नियम/चार भोपाल, दिनांक 10-7-2018

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा और हकदारी) द्वितीय मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
5. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
8. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
11. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, एवं लेखा, मध्यप्रदेश
13. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
14. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
15. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति मंत्रालय, भोपाल
16. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
17. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
18. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
19. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।

(अजय चौबे)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग